

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/56/2021

प्रवेश तिथि  
08-10-2021

निर्णय दिनांक  
19-07-2023

- 01- पूरण पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर  
(राजस्थान)  
02- हनुमान पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर  
(राजस्थान)

— अपीलाण्टान

बनाम

01- तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

— रेस्पोजेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 20.06.2018  
अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या  
144/2017

उपस्थित:-

- 01-श्री भूपेन्द्र खटाणा  
02- श्री दीपक मीना

—वकील अपीलाण्ट

— वकील रेस्पोजेन्टस

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी (अलवर) के आदेश दिनांक 20.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्टान को सम्वत 2074 में आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 5.69 किस्म गैर मुमकिन राडा में से रकबा 1.24 है0 ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी पर तिल, बाजरा की फसल काशत कर/खाई खोदकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा से बेदखल करने का हुक्म दिया व दो माह के सिविल कारावास से दण्डित किया व लगान की 50 गुणा पेनल्टी आरोपित करने का निर्णय पारित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्टान दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टान ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्टान को कभी भी तहत अदालत द्वारा या पटवारी हल्का द्वारा बेदखल नहीं किया है। अपीलाण्टान का कब्जा अरसे -दराज से बिला किसी रोक - टोक के चला आ रहा है, व आराजी मुतनाजा पेनल्टी भी काफी सालों से जमा करा रहे हैं। अपीलाण्टान ने उक्त आराजी को काफी मेहनत करके व काफी पैसा खर्च करके काबिल काशत बनाया है। अपीलाण्टान के नाम तहत अदालत द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, न अपीलाण्टान ने नोटिस लेने से इनकार किया व न ही अपीलाण्टान तहत अदालत में हाजिर हुए। समस्त कार्यवाही गलत तरीके से की गयी है। तहत अदालत का आदेश भी विरोधाभाषी है। जिसमें अपीलाण्टान को अनुपस्थित भी दिखा रखा है, और प्रार्थना पत्र पेश

2-2  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

कर कब्जा होना स्वीकार करना भी बता रखा है। जिससे भी स्पष्ट है कि तहत अदालत ने बिना अपीलान्टान को सुने व बिना पत्रावली को गौर किये व बिना अपीलान्टान को साक्ष्य का अवसर दिये न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कि अपीलान्टान को पूर्व में बेदखल किया हो और अपीलान्टान द्वारा पुनः कब्जा किया हो। अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर दिया व सिविल कारावास भेज दिया व पेनल्टी वसूल कर ली तो अपीलान्टान की बर्बादी का बाईस है। अपीलान्टान भूमिहीन काशतकार गरीब बाल बच्चेदार व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। भूमि की किस्म भी ऐसी नहीं है जो नियमन करने के लिए कोई कानूनी अड़चन हो। काफी मेहनत व खर्च से काबिल काशत बनाया है। भूमि नियमन होने योग्य है। तथा हम अपीलान्टान विनियमन की राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। तहत अदालत ने निर्णय मिन अपीलान्ट के बाला-बाला बिला अपीलान्टान को पैरवी/जवाब का मौका दिये व बिला कब्जा देखे महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके दिनांक 20.06.2018 को निर्णय पारित किया है। निर्णय की जानकारी हम अपीलान्टान को दिनांक 28.08.2018 को हल्का पटवारी ने गांव के व्यक्तियों के सामने कहा कि अपीलान्टान के विरुद्ध चुपचाप में कार्यवाही कर बेदखल करने की कार्यवाही कर दी है। जिस पर हम अपीलान्टान को उसी दिन गांव के व्यक्तियों द्वारा जानकारी मिली तो उसी दिन अपीलान्टान ने नकल फैसला की प्रति लेने के लिए संबंधित न्यायालय में जाकर जानकारी की व नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल फैसला मिलने पर कानूनी - सलाह व मशवरा लिया जाकर आवश्यक इंतजाम कर अपील बिला देरी के पेश की गयी है। अपील करने में हुयी देरी काबिजे माफी है। पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून अधिनियम पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 20.06.2018 मंसुख फरमाया जावे व आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 835 रकबा 1.86 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा वाके ग्राम अंगारी, तह0 थानागाजी अपीलान्टान को विनियमन किये जाने के निर्देश के साथ भू आवंटन कमेटी को नियमन करने की सिफारिश की जावे व सजाए जेल व जुर्माने का आदेश निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान नकारते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा सम्वत 2074 में ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 5.69 है0 में से 1.86 है0 किस्म गैर मुमकिन राडा की भूमि में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर तिल बाजरा की फसल काशत कर/खाई खोदकर अतिक्रमी के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी/बैदखली कायम किये जाने का विधिवत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन राडा जो भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है, ऐसी आराजी का किसी को भी आवंटन/नियमन/अवैध कब्जा किये जाने का अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस का मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलान्धीन आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 14.09.2018 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 28.08.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते



2  
 आतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
 अजमेर (राज०)

हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलाण्टान का कब्जा अरसे -दराज से चला आ रहा है, जिसे अपीलाण्टान ने उक्त आराजी को काफी मेहनत करके व काफी पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। आराजी मुतनाजा पेनल्टी भी काफी सालों से जमा करा रहे हैं, जिसके आधार पर उक्त आराजीयात को अपीलाण्टान को विनियमन किया जावे। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का अंगारी द्वारा दिनाक 11.09.2017 वर्णित आराजी पर अतिक्रमी द्वारा किये गये पश्चातवर्ती अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी, प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के विरुद्ध नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु दिनाक 29.09.2017 तारीख पेशी नियत की गयी। जारी नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की जाकर चस्पादगी की रिपोर्ट पेश हुई अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी होकर आगामी तारीख पेशी दिनाक 05.10.2017 नियत की गयी। जारी नोटिसो तामील रिपोर्ट कमशः जगदीश की तामील उनकी पत्नी रामप्यारी, रामस्वरूप की तामील रिपोर्ट उनकी पत्नी धौली देवी, कैलाश की तामील रिपोर्ट उनकी पत्नी भग्गो देवी को पुख्ता तामील कराये जाने के बावजुद भी अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही आये न ही कोई जवाब/साक्ष्य पेश किया जिसके आधार पर बयान पटवारी के दर्ज कराये जाकर अतिक्रमी के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होने पर विधिवत कार्यवही पूर्ण कर दिनाक 20.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वयं ही स्वीकार किया गया है, कि आराजी पर उनका कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है, साथ ही समय-समय पर पैनन्टी की राशि भी अदा करने का कथन किया गया है। जिससे अपीलान्ट का आराजी पर अतिक्रमण सिद्ध होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में वर्णित आराजीयाता की किस्म गैर मुमकिन राडा है, जो भारत सरकार की अधिसूचना दिनाक 07.05.1992 में प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी आराजी का किसी को भी आंवटन/नियमन/अवैध कब्जा किये जाने का अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.06.2018 न्यायोचित है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.06.2018 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19-07-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखदेव सिंह शोखावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
आति 0 जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)